क्रम-संख्या–130 (क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 25 जुलाई, 2023

श्रावण 3, 1945 शक सम्वत्

प्रारूप–19

[नियम 27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

———

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

———

अधिसूचना संख्या 2328

दिनांक : 25 जुलाई, 2023

———

अधिसूचना

प०आ०–443

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (रैपिड रेल) परियोजना हेतु जिला मेरठ, तहसील सरधना, जिला मेरठ के ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर में क्षेत्रफल 27.3290 है0, दौराला में 0.5422 है0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1985, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दो समाचार पत्रों अमर उजाला (हिन्दी अंक) व हिन्दुस्तान टाईम्स (अंग्रेजी अंक) में दिनांक 28 अप्रैल, 2023. को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टीकलेक्टर / असिस्टेंट कलेक्टर. मेरठ को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देष्य से प्रषासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवष्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला मेरठ, तहसील सदर, परगना, ग्राम की शून्य हैक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देष देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाषन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांष के प्रकाषन हेतु कलेक्टर मेरठ को निर्देषित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची "क"
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)
1	2	3	4	5
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	190	470
			191	27
			201	250
			243	2684
			244	2289
			245	257
			246	1479
			247	305
			249	282
			250	85
			261	260
			262	1775
			263	416
			264	362
			276	1720
			277	404
			281	1500
			282	445
			321	963
			322	2320
			323	1853
			324	1687
			325	954
			329	290
			330	1137
			331	887
			335	4680
			336	3040
			337	5050
			338	2398
			344	147
			345	551
			355	2678

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)
1	2	3	4	5
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	356	17
			357	1035
			358	1573
			359	2590
			360	1374
			361	2258
			370	3
			371	105
			372	295
			373	1555
			374	4
			375	641
			377	455
			378	381
			379	453
			380	53
			381	211
			382	760
			383	1010
			384	2292
			390	11
			402	630
			411	3660
			422	1010
			441	7327
			442	1104
			443	4810
			444	4050
			445	3790
			446	1640
			447	630
			448	630
			449	2660
			451	2530
			452	4050
			453	3920
			454	4170

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)
1	2	3	4	5
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	455	5690
			456	630
			460	510
			461	1260
			462	630
			463	440
			464	570
			465	1010
			466	1520
			468	1010
			470	6070
			471	380
			472	6960
			473	4153
			474	1140
			475	3540
			476	890
			477	1010
			478	2530
			479	844
			480	2148
			482	198
			483	33
			489	100
			490	309
			607	183
			611	5181
			613	3290
			614	1260
			615	4930
			618	1010
			620	1770
			621	1640
			628	3920
			629	3410
			630	1640

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)
1	2	3	4	5
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	631	630
			632	380
			633	3920
			634	60
			635	760
			636	660
			637	100
			638	835
			640	259
			641	4520
			642	446
			643	6200
			644	6070
			645	2020
			646	2020
			647	3670
			648	2400
			649	630
			650	630
			651	2530
			652	310
			653	1450
			654	2660
			655	1260
			656	6450
			657	1070
			658	3670
			659	3790
			660	2910
			661	690
			662	3730
			663	376
			664	2601
			665	189
			668	987
			669	130

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)
1	2	3	4	5
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	670	690
			671	690
			672	5690
			673	5113
			674	250
			675	560
			677	190
			678	3595
			682	1859
			683	282
			684	1088
			685	74
			690	2784
			691	1900
			692	3160
			693	1260
			694	1320
			695	1460
			696	552
			739	347
			740	286
			741	2302
			743	580
			744	1223
			745	969
			746	167
			747	8
			749	200
		दौराला	1426	720
			1428	2160
			1432	2542

आज्ञा से,

(ह0) अपठनीय

समुचित सरकार/जिलाधिकारी मेरठ।

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आज्ञा से,

(ह0) अपठनीय

समुचित सरकार/जिलाधिकारी मेरठ।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अर्न्तगत]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस परियोजना हेतु जिला मेरठ, तहसील सरधना, ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर व दौराला में स्थित 27.8712 हेक्टेयर भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1985 दिंनाक 27 अप्रैल 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण उपरान्त क्षेत्र में आर्थिक प्रगति के साथ क्षेत्रीय निवासियों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय राजधानी एंव अन्य प्रयुक्त शहरी बिन्दुओं के बीच सडकों पर वाहनों में कमी के कारण सम्पूर्ण वातावरण में प्रदूषण की व्यापक कमी होगी।

उक्त परियोजना हेतु ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर व दौराला तहसील सरधना, जनपद मेरठ में 27.8712 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के कारण लगभग 214 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के सम्बन्ध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है जिसका सारांश निम्न प्रकार है:–

- भूमि एंव उस पर स्थित संरचनाओं हेतु प्रतिफल की गणना भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं एंव अनुसूची–1 के क्रम में किया जायेगा।
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों की गणना अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के अनुसार की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पाँच लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि वार्षिकी या नियोजन के विकल्प के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि पुनर्वास भत्ते के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को 12 माह की अवधि तक तीन हजार रूपये प्रतिमाह की दर से निर्वाह अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि परिवहन व्यय के रूप में प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त पुनर्वास एंव पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्रियान्वयन 18 माह की अवधि में करा लिया जायेगा।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
(ह0) अपठनीय
समुचित सरकार/जिलाधिकारी मेरठ।

FORM-19

[Sub-rule (1) of Rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under sub-section (1) of section 19 of the Act]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Revenue Department

Notification no. 2328

Dated, July 25, 2023

WHEREAS preliminary notification no. 1985 dated April 27,2023 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of village Siwaya Jammullapur area 27.3290 hect. Daurala area 0.5422 hect. Pargana, Tehsil Shardhana, Distrtict Meerut is required for public purpose, namely, project "implementation of Delhi- Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor" through National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) and lastly published in 2 local news paper Amar Ujala (in Hindi) and Hindustan Times (in English) dated April 28, 2023. The Deputy Collector/Assistant Collector Meerut was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule " A" is needed for public purpose and the land to the extent of-……..Nill……hectares in village-……..Nill…… Pargana-……..Nill……District-……..Nill……as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Meerut to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith no family is displaced in land acquisition for project "implementation of Delhi- Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor" through National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) way hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement Scheme.

SCHEDULE "A"

(Land under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5
Meerut	Sardhana	Siwaya Jamaullapur	190	470
			191	27
			201	250
			243	2684
			244	2289
			245	257
			246	1479
			247	305
			249	282
			250	85
			261	260

District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5
Meerut	Sardhana	Siwaya Jamaullapur	262	1775
			263	416
			264	362
			276	1720
			277	404
			281	1500
			282	445
			321	963
			322	2320
			323	1853
			324	1687
			325	954
			329	290
			330	1137
			331	887
			335	4680
			336	3040
			337	5050
			338	2398
			344	147
			345	551
			355	2678
			356	17
			357	1035
			358	1573
			359	2590
			360	1374
			361	2258
			370	3
			371	105
			372	295
			373	1555
			374	4
			375	641
			377	455
			378	381
			379	453
			380	53
			381	211
			382	760
			383	1010
			384	2292
			390	11
			402	630
			411	3660
			422	1010
			441	7327
			442	1104
			443	4810
			444	4050

District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5
Meerut	Sardhana	Siwaya Jamaullapur	445	3790
			446	1640
			447	630
			448	630
			449	2660
			451	2530
			452	4050
			453	3920
			454	4170
			455	5960
			456	630
			460	510
			461	1260
			462	630
			463	440
			464	570
			465	1010
			466	1520
			468	1010
			470	6070
			471	380
			472	6960
			473	4153
			474	1140
			475	3540
			476	890
			477	1010
			478	2530
			479	844
			480	2148
			482	198
			483	33
			489	100
			490	309
			607	183
			611	5181
			613	3290
			614	1260
			615	4930
			618	1010
			620	1770
			621	1640
			628	3920
			629	3410
			630	1640
			631	630
			632	380
			633	3920

District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5
Meerut	Sardhana	Siwaya Jamaullapur	634	60
			635	760
			636	660
			637	100
			638	835
			640	259
			641	4520
			642	446
			643	6200
			644	6070
			645	2020
			646	2020
			647	3670
			648	2400
			649	630
			650	630
			651	2530
			652	310
			653	1450
			654	2660
			655	1260
			656	6450
			657	1070
			658	3670
			659	3790
			660	2910
			661	690
			662	3730
			663	376
			664	2601
			665	189
			668	987
			669	130
			670	690
			671	690
			672	5690
			673	5113
			674	250
			675	560
			677	190
			678	3595
			682	1859
			683	282
			684	1088
			685	74
			690	2784

District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5
Meerut	Sardhana	Siwaya Jamaullapur	691	1900
			692	3160
			693	1260
			694	1320
			695	1460
			696	552
			739	347
			740	286
			741	2302
			743	580
			744	1223
			745	969
			746	167
			747	8
			749	200
		Daurala	1426	720
			1428	2160
			1432	2542

with permission.
(*Sd.*) Illegible
State Government/Collector

SCHEDULE-"B"
(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked For Rehabilitation (In Hect.)
1	2	3	4	5	6

By order
(*Sd.*) Illegible
Appropriate Government/District Collector
Meerut.

NOTIFICATION OF DECLARTION BY COLLECTOR

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

By the order of declaration made under Government notification no. 1985, dated April 27, 2023, 27.8712 hectares of land in village Siwaya Jamaullapur and Daurala Tehsil Sardhana, District Meerut is required for public purpose, namely Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor project through National Capital Region Transport Corporation. I hereby published the declaration made therein summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:–

Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor would bring economic growth in the region and employment opportunities to the inhabitants would enhance. Also the traffic congestion between the National Capital and Nodal Cities would reduce to improve the overall environment of the area.

For the said project, 27.8712 hectares land is proposed to be acquired in village Siwaya Jamaullapur and Daurala, Tehsil Sardhana, District Meerut in which around 214 families are expected to be affected because of the acquisition. For the project affected families, R&R draft scheme has been prepared. The salient features of the Resettlement and Rehabilitation Scheme are as follows:–

- The compensation for land and assets attached with it would be evaluated and distributed as per Schedule-1 and other provisions laid down under RFCTLARR Act, 2013.
- The Rehabilitation and Resettlement assistance would be paid as per the provisions of Schedule-2 of the RFCTLARR Act, 2013.
- One time payment of Rs. 5,00,000/- in lieu of Job/annuity to each affected family .
- One time resettlement allowance of Rs. 50,000/-to each affected family.
- Subsistence grant of Rs. 3000/- per month for a period of 12 months to all displaced families.
- One time transportation allowance @ Rs. 50,000/- per displaced family.

The implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme will be completed within 18 months.

NOTE :– The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of Land acquisition.

By order
(*Sd.*) Illegible
Appropriate Government/District Collector,
Meerut.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 506 राजपत्र–2023–(1636)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0./ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 10 आवास एवं शहरी नियोजन–2023–(1637)–150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0./ऑफसेट)।